

17/02/25

78/2020

पत्रावली पेश हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की धोखा एवं स्थाई नौघाजा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी/वादी माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नहीं बढ़े। इस कारण स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्वयता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्वयता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनते है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कस्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम. स्थगन आदेश दिनांक 22.6.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) जलोतरा

17/02/25